

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत: क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर 2009—कार्तिक 26, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-41/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क की उपधारा (2) एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगर पालिक निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के महापौर तथा अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए व्यय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित करती है :—

क्रमांक	निकाय का विवरण	2001 की जनगणना अनुसार जनसंख्या	निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नगर पालिक निगम	5 लाख से अधिक 3 लाख से 5 लाख 3 लाख से कम	रुपये 8 लाख रुपये 7 लाख रुपये 6 लाख
2.	नगरपालिका	50 हजार से ऊपर 50 हजार से कम	रुपये 4 लाख रुपये 3 लाख
3.	नगर पंचायत	-	रुपये 2 लाख

Raipur, the 16th November 2009

NOTIFICATION

No. F. 1-41/18/2009.—In exercise of powers conferred under sub-section (2) of Section 14-A of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 and sub-section (2) of Section 32-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 the State Government, hereby, fixes the limits of expenditure for the election of Mayor and President of Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats as follows :—

S. No. (1)	Details of Urban local body (2)	Population as per census 2001 (3)	Maximum limit of election expenses (4)
1.	Municipal Corporation	above five lacs three lacs to five lacs below three lacs	Rs. 8 lacs Rs. 7 lacs Rs. 6 lacs
2.	Municipal Council	Above fifty thousand below fifty thousand	Rs. 4 lacs Rs. 3 lacs
3.	Nagar Panchayat	-	Rs. 2 lacs

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, अतिरिक्त सचिव.